# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 54/19 GCMS NO 2019/00161

1. भॅवर सिह पुत्र विशन सिह
2. सुरेन्द्र सिह पुत्र विशन सिह
3. फूलदेई पत्नि रघुपत सिह
4. हनुमान सिह
5. धारा सिह पुत्रान रघुपत सिह
6. उदय सिह पुत्र प्रेम सिह समस्त जातियान राजपूत निवासीयान माधोपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बल्लू सिह
2. किशन सिह
3. दशरथ सिह
4. राजेन्द सिह
5. सुमेर सिह पुत्रान जगमान सिह
6. गिरजा देवी पत्नि दशरथ सिह
7. लाडकंवर पत्नि सुमेर सिह जातियान राजपूत निवासीयान माधोराजपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
8. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 05/19 निर्णय दिनांक 6.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुरेश चंद शर्मा

दिनांक 05.01.2026

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्व निर्णय दिनांक 6.11.19 न्यायालय उपजिला कलक्टर, [illegible] पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम माधोपुरा स्थित आराजी [illegible] 0.35 है0, 151 रकबा 0.58 है0, अन्य आवेदकगण के नाम है। आराजी खसरा न0 [illegible] 2 के पूर्व की ओर आवेदक की खातेदारी की भूमि खसरा न0 153,154,155 [illegible] 151, 152 के [illegible] की ओर खसरा न0 135 रकबा 0.19 है0 गैर मुमकिन रास्ता है। आवेदकगण हमेशा [illegible] अपनी आराजी खसरा न0 154, 155 मे रास्ता खसरा न0 135 से खसरा न0 152, 153 की दक्षिण दिशा की ओर डोल मे होकर [illegible] रहे है इसी मे होकर आवेदकगण के पहले बैलगाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तथा अब फसल को बोने के लिए टेक्टर लाने लेजाने व पशुधन का लाने ले जाने के काम मे लेते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मुख्य रास्ते खसरा न0 135 से 10 फीट चौडा और करीब 60 फीट लम्बा है। उसके बाद आवेदक की आराजी जो कय शुदा है खसरा न0 153 है। खसरा न0 154 व 155 आवेदकगण की आराजी है। आवेदकगण की आराजी पर पहुँच का एक मात्र मार्ग यही है। जिसे आवेदकगण बिना रोकटोक के बजाने 50 साल से निर्बाध रूप से चले आ रहे है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की गरज से उक्त रास्ते को बंद कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते मे बाउन्ड्रीवाल कर रास्ते को अवरूद्व किया जा रहा है। अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्व नही करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा न0 153, 154,155 ग्राम माधोपुरा मे आने जाने हेतु खसरा न0 152 के दक्षिण दिशा की ओर डोल के सहारे उत्तर से दक्षिण 10 फीट पूर्व से पश्चिम 50 फीट की सीमा तक नवीन रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उसी अनुसार तरमीम की जावे। रास्ते के प्रयोजनार्थ काम आने वाली भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण देने को तैयार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। धारा 251 ए के तहत आवेदन किया जाता है उस स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी को संक्षिप्त जॉच के पश्चात यह समाधान करना होता है कि आवश्यकता अत्यधिक है नसेसिटी इज एक्सक्यूड नेसेसिटी है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिए नही है इसके अलावा अन्य खातेदार के जोत मे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले पहुँचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है तब आवेदन स्वीकार योग्य होने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। इस प्रकरण मे रेस्पो0/प्रार्थीगण ने चाहे गये स्थल पर हमेशा से रास्ता होना रास्ता 10 फीट चौडाई व 60 फीट लम्बाई का होना खसरा न0 152 व 153 के दक्षिण दिशा की डोल मेड पर होकर बताया है उसके बाद 153 की भूमि रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा खरीद करना बताया है। रेस्पो/प्रार्थीगण ने भूमि पर पहुँचने का यही एक मात्र रास्ता होना बताया है। जिसे प्रार्थीगण ... समय से पचासो साल से निर्बाध रूप से इल्म मे उपयेाग करते चले आ रहे है ... भी कर रहे होना बताया है। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि रेस्पो0 ... के तहत आवेदन किया है जबकि इन तथ्यो के आधार पर आवेदन न्यायालय ... कलेक्टर मे विचाराधीन नही होता है बल्कि ऐसे तथ्यो के आधार पर आवेदन दीवानी न्यायालय द्वारा ही विचारणीय होता है या धारा 251 आर टी एक्ट के तहत तहसीलदार के समक्ष ही विचारणीय होता है। इस स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षैत्राधिकार विहिन होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो/प्रार्थीगण ने धारा 251 आर टी एक्ट के प्रावधान अनुसार अपने अभिवचन आवेदन मे दर्ज नही किये। आवेदक रेस्पो0 ने आवेदन मे यह भी दर्ज नही किया कि चाहे गये रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है और यह भी नही बताया कि चाहा गया रास्ता उसकी जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के नही है इस स्थिति से भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त योग्य है। रेस्पो/प्रार्थीगण ने अपना आवेदन अपीलांटगण की जोते मे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामलो मे वैकल्पिक मार्ग अभाव सिद्व नही किया गया है इस प्रकार यह प्रथम तौर पर नये मार्ग का मामला आवेदकगण ने नही रखा है बल्कि आवेदन के पैरा न0 3 ता 5 मे अपना प्रकरण सुखाधिकार अधिकार के तहत मेड डोल पर होकर रास्ता होना बताया है इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत विचारणीय नही है। बल्कि दीवानी न्यायालय द्वारा वाद के रूप मे विचारणीय होता है। इस स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही व पत्रावली व रिकार्ड के विपरीत है मनमाना है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली पर आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन से दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नही किया है कि आवेदकगण को अपनी जोत के लिए पहुँचने का अन्य खातेदार की जोत मे होकर पहुँचने का वैकल्पिक साधन नही है जबकि मौके पर खसरा न0 160 व उसके अन्य मिन नम्बर जो आबादी के है जिनमे आवेदकगण व उनके परिवारजन निवास करते है वहॉ से खसरा न0 160/645 व खसरा न0 250/658 आम रास्ते से होकर खसरा न0 182 व 167 के मध्य होकर खसरा न0 168 मे होते हुए खसरा न0 155 को रास्ता है वह रास्ता खसरा न0 250/658 से सी सी रोड खसरा न0 160/645 व खसरा न0 182 व 167 के मध्य होकर खसरा न0 168 तक बना हुआ है खसरा न0 168 के कुछ भाग मे विधालय बना हुआ है उसके पहुँच के लिए एवं आवेदकगण की आराजी ख0न0 168 की पहुँच के लिए सीसी रोड बना हुआ है और खसरा न0 168 से लगा हुआ आवेदकगण का खसरा न0 155 है। जो नक्शा शीट की छाया प्रति से प्रमाणित है। जिसमे वरंग लाल रंग डॉट लाईन से इस रास्ता को अपीलांट ने दर्शाया है इस रास्ता के अस्तित्व को आवेदकगण द्वारा छुपाया गया है और गिरदावर हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट मे छुपाया है। इस रास्ते का उपयोग आवेदकगण 30-40 साल से लगातार करते चले आ रहे है। इस प्रकार आवेदकगण को आवेदन दिवस न्यायालय हाजा मे चाहे गये रास्ते की पहले से आवश्यकता नही रही है। और अपनी भूमि खसरा न0 155 के उपयोग के लिए अपील के इस पैरा मे अपीलांट द्वारा बताया गया रास्ता आवेदकगण को सुविधाजनक उपयोग की है यह वैकल्पिक मार्ग आवेदकगण को उपलब्ध सीसी रोड बनाया गया है। गणपत सिह पुत्र रामसिह निःसंतान स्वर्गवासी हुए है आवेदकगण उनके हिस्से स्वामित्व खातेदारी की जमीन पर काबिज है व उपयोग करते चले आ रहे है और गणपत सिह के वारिस है गणपत सिह अविवाहित ... पटवारी हल्का मातासुला ने मौके पर रिपोर्ट बनाई जिसमे खसरा न0 154व 155 मे आवे... मकान बने होना बताया है और ग्राम की मुख्य आबादी से जगमोहन ... सी सी रोड का निर्माण किया हुआ होना बताया है ... न0 154 व 155 की पहुँच के लिए सुविधाजनक है एवं खसरा न0 152 व 153 मे मोहर... डली हुई होना नही बताया है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकार पटवारी हल्का रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा छुपाया गया है। और बिना रिकार्ड के गिरदावर से असत्य रिपोर्ट मौके विपरीत पेश कर दी। गिरदावर रिपोर्ट पर आक्षेप प्रस्तुत करने का अवसर अपीलांट को नही दिया गया। गिरदावर द्वारा खसरा न0 155 मे आवेदकगण किशन सिह वगै0 के मकान होना बताया है भूमि खसरा न0 154 व 155 आवासीय उपयोग मे आ रही है। व भूमि कृषि जोत भूमि नही है इस स्थिति मे आवेदक बाबत धारा 251 ए आर टी एक्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विचारणीय नही होने से क्षैत्राधिकार विहिन आदेश पारित करने से यह आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य भी पेश नही की है अपीलांट को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नही दिया गया है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह मात्र गिरदावर रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है । अपीलांट द्वारा बैकल्पिक रास्ता व सुविधाजनक रास्ता स्कूल की तरफ होकर खसरा न0 155 के लिए दर्शाया है उसके संबंध मे कोई विवेचन अपने निर्णय मे अधिनस्थ न्यायालय ने नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत तौर पर जैर अपील निर्णय पारित नही किया है। रेस्पो0 आवेदकगण से ही धारा 251 ए आर टी एक्ट का मामला नही बनता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतया आरवेट्री एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.11.19 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नही है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन विधि विरूद्व है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत लागू नही होता है जबकि राज्य सरकार द्वारा किसी जोत धारक की भूमि पर पहुँच मार्ग न होने तथा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति मे धारा 251 ए लागू की गई है। रेस्पो0/प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुँच का मार्ग खसरा न0 135 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा न0 152 व 153 से होकर वर्षो से आवागमन करते रहना एवं अपीलांटगण/अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्व किये जाने के कारण ही विधिवत रूप से धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर अपीलांट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया गया जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट/अप्रार्थीगण को मौका रिपोर्ट पर सुना जाकर ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को सही एवं वास्तविक स्थिति अनुसार ही पेश की गई है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत माना है। मौके पर मे रेस्पो/प्रार्थीगण की जोत पर पहुँच के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से रास्ते के लिए उपयोग मे आने वाली भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अप्रार्थीगण/अपीलांट को दिये जाने की शर्त पर राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर ही विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधित त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा आराजीयात ख0न0 153,154,155 पर पहुँच हेतु पूर्व से कोई रास्ता नही होना तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने तथा पूर्व से आमद रफत का रास्ता आराजी खसरा न0 135 सिवायचक गैर मुमकिन रास्ते से होकर रहने तथा अपीलांट/अप्रार्थीगण की आराजी खसरा न0 152 को अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्व किये जाने के कारण ही धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 को रास्ता हेतु सिविल न्यायालय मे वाद दायर करना चाहिए था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता प्रदान किये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर उभयपक्ष की सहमति पर मौके पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने की सहमति दी जाने पर स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर ही मौके की रिपोर्ट तैयार कराई गई है। मौका रिपोर्ट मे प्रार्थीगण/रेस्पो0की आराजीयात पर पहुँच का रास्ता पूर्व से मौजूद नही होने एवं सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा न0 152 मे 12 फीट चौडा व 24 मीटर लम्बा रास्ते की भूमि प्रभावित भूमि की डी एल सी दर की दो गुना राशि अपीलांट /अप्रार्थीगण 1 ता 5 को दिलयावे जाने की शर्त पर स्वयं प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी खसरा न0 153 मे 12 फीट चौडा व 30 मीटर लम्बाई की भूमि तथा खसरा न0 154 मे 12 फीट चौडा व 30 मीटर लम्बा एवं खसरा न0 155 मे 12 फीट चौडा व 58 मीटर लम्बाई की भूमि प्रार्थीगण/रेस्पो0 के हिस्से की खातेदारी भूमि मे से खातेदारी कम कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश विधिवत रूप से धारा 251 ए के प्रावधानो के तहत ही दिये गये है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होन से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 05/19 मे पारित निर्णय दिनांक 6.11.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:30 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर